भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4160
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः जलवायु-अनुकूल बीज और सिंचाई

4160. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जलवायु अनुकूलता के आधार पर कृषि क्षेत्रों का पुनः मानचित्रण किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों को अनियमित वर्षा के अनुकूल सहायता प्रदान करने हेतु लागू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलवायु-अनुकूल बीजों की किस्मों और सिंचाई के लिए वित्तपोषण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिला-स्तरीय आपदा न्यूनीकरण योजनाओं को कृषि संबंधी आवश्यकताओं के साथ समेकित किया जा रहा है; और

(ङ) जलवायु-अनुकूल कृषि के संबंध में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है, जो फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है। यह जलवायु प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रचार भी करती है, जो सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों की सहायता करती हैं। राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन प्रोटोकॉल पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुसार, कृषि प्रधान 651 जिलों में जिला स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन किया गया है। संवेदनशील रूप में चिह्नित 310 जिलों में से 109 जिलों को 'अत्यधिक उच्च' और 201 जिलों को 'अत्यधिक संवेदनशील' श्रेणी में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए, आईसीएआर ने विगत 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान 2900 किस्में जारी की हैं। इनमें से 2661 किस्में एक या एक से अधिक जैविक और/या अजैविक तनाव सहने योग्य हैं।

भारत सरकार देश भर के किसानों को अपेक्षित मात्रा में बीज उपलब्ध कराने के लिए कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और बहुगुणन को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014-15 से बीज एवं रोपण सामग्री (एसएमएसपी) उप-मिशन का कार्यान्वियन कर रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान, एसएमएसपी (अब एनएफएसएनएम में विलय) की बीज योजना के अंतर्गत 270.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 206.86 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई, जिसमें से 141.46 करोड़ रुपये बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए गए। सरकार प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) भी क्रियान्वित कर रही है, जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 से, केंद्र सरकार ने 30.06.2025 तक सूक्ष्म सिंचाई के तहत 102.56 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल ₹24,789.16 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है।

(घ) और (ङ): आईसीएआर ने इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं भी तैयार की हैं ताकि मौसम संबंधी विसंगतियों से निपटा जा सके और स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों, किस्मों और प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की है। जलवायु परिवर्तनशीलता के लिए किसानों के अनुकूल और अनुकूलक क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "जलवायु अनुकूल गांवों" (सीआरवी) की संकल्पना प्रारंभ की गई है। किसानों द्वारा अपनाने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र कवर करते हुए 151 जलवायु अतिसंवेदनशील जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया है। चावल गहनता पद्धति, एरोबिक राइस, चावल की सीधे बुवाई, गेहूं की जीरो टिल बुवाई, सूखे और गर्मी जैसी चरम मौसमी स्थितियों में सहने योग्य जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती; चावल के अवशेषों का स्व-स्थाने समावेशन जैसी जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया गया है। एनआईसीआरए के कई गांवों में चावल, गेहूं, सोयाबीन, सरसों, चना, ज्वार, चना और फॉक्सटेल मिलेट्स सूखा और बाढ़-रोधी जलवायु-अनुकूल किस्मों का प्रदर्शन किया गया था। इसके अलावा, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के अंतर्गत कृषि पद्धतियों के विभिन्न मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें किसानों के मध्य गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग के बारे में जागरूकता लाभ भी शामिल है।

*****